कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, खरगोन

दूरभाष : (07282) 233982, फेक्स : 235388, ई–मेल : ***dfotkgone@mp.gov.in***

क्रमांक / तकनीकी / 2025 / 675 खरगोन, दिनांक 21/01/25

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
खण्डवा वृत्त, खण्डवा

विषय :– जिला बडवानी एवं जिला खरगोन अन्तर्गत सोनखेडी तालाब, योजनो निर्माण हेतु 49.320 हे. (वनमण्डल सेंधवा की 34.450 हे. एवं खरगोन वनमण्डल की 14.870 हे.) वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबद्। प्रकरण क्रमांक / FP/MP/IRRIG/155614/2022 ।

संदर्भ :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ–3 / 129 / 378893 / 0017 / 10 दिनांक 13.12.2024 ।

––::––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व VIII बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बडवानी से चाही गई थी।

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बडवानी के पत्र क्रमांक / 120 दिनांक 13.01.2025 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सूचित किया है कि परिवेश पोर्टल पर अतिरिक्त बिन्दुओं की जानकारी अपलोड की गई है, पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

रमेश राठौर (भा.व.से.)
वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, खरगोन

पृ. क्रमांक / तकनीकी / 2025 / 676 खरगोन दिनांक 21/01/25

प्रतिलिपि :–1.वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, सेंधवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बडवानी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, खरगोन
17.1.25

desktop my document Priyojna file sonkhedi

कार्यालय कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, बड़वानी, जिला–बड़वानी (म.प्र.)

Ph. No. – 07290-222006, Fax No. – 07290-222723, Email – eewrd_barwani@yahoo.com

पत्र क्रमांक 120/कार्य/सोनखेडी वन प्रकरण/2025 बड़वानी, दिनांक 13/01/2025

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल सेंधवा
जिला बड़वानी (म.प्र.)

विषय :– वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 2 (1) (ii) के अंतर्गत 49.320 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव (सेंधवा वन प्रभाग में 34.45 हेक्टेयर और खरगोन वन प्रभाग में 14.87 हेक्टेयर) मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले के अंतर्गत सोनखेड़ी टैंक परियोजना के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग के पक्ष में (ऑनलाइन क्रमांक FP/MP/IRRIG/155614/2022) – के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रं./मा.चि./2024/4835/सेंधवा दिनांक 24.12.2024

———00———

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा सोनखेडी तालाब योजना में विभिन्न बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई हैं, जिसमें यूजर एजेंसी से संबंधित बिन्दुओं की जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई हैं।

1	The State Govt. has not submitted the detailed hydrological assessment report along with details of study(if any) carried out in the basin and details about the impact of the project on the flow of water downstream.	प्रस्तावित सोनखेडी तालाब परियोजना लघु सिंचाई योजना हैं, जो कि 25.03 वर्ग कि.मी. के पानी को ही रोके जाने हेतु प्रस्तावित हैं, जबकि मध्यप्रदेश की सीमा अन्तर्गत तहसील वरला का कुल भौगोलिक क्षेत्र 721 वर्ग कि.मी. हैं, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.47 प्रतिशत ही हैं। उपरोक्त परियोजना के निर्माण से 03 ग्रामों की 535 हेक्टयर सिंचाई प्रस्तावित हैं। योजना से प्रस्तावित प्रभावित वन डूब क्षेत्र 0.4932 वर्ग कि.मी. हैं, जो कि तहसील वरला के भौगोलिक क्षेत्र का 0.07 प्रतिशत हैं, जिसका इस वनक्षेत्र में पशु पक्षियों, अन्य वन्य जीवों एवं पर्यावरण पर विपरित प्रभाव नगण्य होगा। इस परियोजना के निर्माण से -3.41 मि.घ.मी. जीवित जलभराव से उपरोक्त नाले के डाउन स्ट्रीम में लगभग 10 कि.मी. तक वर्षाकाल के पश्चात भी बांध से न्यूनतम सिपेज से वर्षभर नाले में जलप्रवाह बना रहेगा, जिससे डाउन स्ट्रीम में पशु पक्षियों, अन्य वन्य जीवों एवं सिंचाई हेतु पानी की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त आस–पास के 5–7 कि.मी. के दायरे में भू–जल स्तर में वृद्धि होगी, जिससे कुंए एवं अन्य छोटे प्राकृतिक जल स्त्रौत ग्रीष्मऋतु में भी जीवित रहेगे।
2	The CAT plan submitted has not been approved as per the Chapter-9, Para 9.2 (vii) of the consolidated guidelines and clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan), Adhiniyam, 1980. Therefore, the State Govt. shall ensure that an approved CAT plan invariably accompanied with all the characteristics as given in Para 9.2 (i to vi) of the consolidated guidelines and clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan), Adhiniyam, 1980 shall be submitted.	केट प्लान वन मण्डल स्तर से परीक्षण उपरांत वन विभाग के वरिष्ठ कार्यालय द्वारा अनुमोदन किया जाना हैं।

मा0 चि.
D.F.O. Khargone
15/1
280
16-1-25

3	The cost benefit analysis as submitted does not include habitation fragmentation cost and details as per prescribed format. The revised CB analysis has to be submitted by keeping all parameters in view.	संशोधित सी.बी. प्रस्तुत हैं।
4	The State Govt. has now informed that क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी ग्राम फत्यापुर, सर्वे नं 164 रकबा 49.320 हे. गैर वनभूमि में पूर्व से 24320 पौधे होने के कारण शेष बचे 25000 पौधे रोपण की योजना वनमंडल सेंधवा के परिक्षेत्र वारला की अवक्रमित वनभूमि कक्ष क्रमांक 404. However, the complete CA scheme of Non-Forest land & degraded Forest land along with KML file of degraded forest land proposed for CA has not been submitted/uploaded.	गैर वन राजस्व भूमि एवं बिगडे वन की संपूर्ण कार्ययोजना एवं के.एम.एल. फाईल वन मण्डल स्तर से अपलोड किया जाना हैं।
5	As per DSS analysis, the proposed forest land for diversion is located at a distance of 6.51 Km from Yawal Wildlife Sanctuary of Maharashtra State. Therefore the comments of CWLW with clear recommendatios regarding impact of the project on the wildlife found in and around the area proposed for diversion needs submission.	स्पष्टीकरण स.क्रं. 01 द्वारा प्रस्तुत हैं। प्रस्तावित संरचना स्थल पर डूब क्षेत्र में बहुत विशाल एवं पुराने पेड़ नहीं हैं, ना ही डूब क्षेत्र में पशु पक्षियों के पूर्णतः नष्ट या अस्तित्व खत्म होने जैसे पर्यावरण को दुषित या नष्ट हो जाने का खतरा नहीं हैं।
6	DSS analysis revealed that the instant project is located at a distance of 0.50 Km from the inter-state border of Maharashtra State and part of canal proposed over Non-forest land is falling in the State of Maharashtra. Since the proposed area is bordering the State of Maharashtra, and the project may have impact on the areas downstream, therefore the State of Madhya Pradesh shall seek the comments/NOC from the State of Maharashtra in this regard and submit the response.	परियोजना का मुख्य बांध स्थल महाराष्ट्र राज्य की सीमा से 1.80 कि.मी. एवं नहर का अंतिम छोर महाराष्ट्र राज्य की सीमा में नहीं अपितु सीमा से 0.50 कि.मी. की दूरी पर हैं। महाराष्ट्र राज्य की सीमा से गुजरने वाली अनेर नदी पर परियोजना निर्मित नहीं की जा रही हैं। अनेर नदी के महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश बॉडर पर अनेर नदी का जलग्रहण क्षेत्रफल 968.084 वर्ग कि.मी. हैं, जबकि प्रस्तावित सिंचाई योजना जो कि मध्यप्रदेश के छोटे से नाले पर, बांध स्थल पर 25.03 वर्ग कि.मी. के पानी को रोका जाना प्रस्तावित हैं, जो कि महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश बॉडर पर अनेर नदी का जलग्रहण क्षेत्रफल का मात्र 2.59 प्रतिशत हैं, जिससे बांध निर्माण से अनेर नदी के जल प्रवाह पर नगण्य प्रभाव होगा। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र की सीमा से लगी अनेर नदी पर मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग द्वारा कोई भी पानी रोकने वाली सिंचाई योजना निर्मित/प्रस्तावित नहीं हैं।
7	Satellite Imagery shows the presence of Agricultural lands, Settlements, Plantation, Roads etc. within the proposed forest land for submergence as well as forest land proposed for Canal component. This needs clarification.	प्रस्तावित जलमग्न भूमि 0.4932 वर्ग कि.मी. जो आंशिक रूप से वन अधिकार अंतर्गत, पट्टाधारक कृषकों की भूमि एवं अचल सम्पत्ति, सड़क एवं बस्तियां इत्यादि मौजुद हैं, उन्हें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कलेक्टर गाईड लाईन का दोगुना (तहसील वरला योजना स्थल के नजदीकी राजस्व ग्राम) मुआवजा प्रदान किया जावेगा। चुंकि प्रस्तावित योजना लघु सिंचाई योजना हैं, जिसमें विभागीय मापदण्डानुसार पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं हैं।
8	The State Govt. has proposed to establish a waste weir in the project. However the forest land in-between the waste weir and Dam line has not been included in the proposal. This needs clarification and the State Govt. shall ensure that the complete proposal shall be submitted.	बांध निर्माण हेतु वेस्ट वियर एवं डेम बॉडी के मध्य की भूमि का उपयोग योजना निर्माण में नहीं किया जावेगा। उपरोक्त स्थल पर लगे वृक्षों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जावेगा। अतः उपरोक्त भूमि को प्रभावित भूमि में शामिल नहीं किया गया हैं।

वन प्रकरण में उपरोक्तानुसार चाही गई अतिरिक्त जानकारी आपकी ओर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

—हस्ता—

(पारस परमार)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, बड़वानी
जिला–बड़वानी (म.प्र.)

पृ0 क्रमांक 121 / कार्य / सोनखेडी वन प्रकरण / 2025 बड़वानी, दिनांक 13 / 01 / 2025

प्रतिलिपि :–

1– प्रधान मुख्य संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार, जल संसाधन विभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3– मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4– अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– कलेक्टर जिला बड़वानी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6– वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल बड़वानी / खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7– अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग सेंधवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, बड़वानी
जिला–बड़वानी (म.प्र.)